

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं० 5 / 2015-2020  
नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 2015

विषय: खांड के आयात के लिए शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम वापिस लेना।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के निम्नलिखित प्रावधानों को संशोधित करती है:

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 4.25 में निम्नलिखित उप पैरा (ग) जोड़ा जाता है:

"(ग) खांड के आयात के लिए शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम उपलब्ध नहीं होगी।"

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम के तहत "खांड" का आयात तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाता है।

(प्रवीर कुमार)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ईमेल: dgft@nic.in

(फा०सं० 01/94/180/एए-शुगर/एएम 09/पीसी-4 से जारी)